भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †879
24 जुलाई, 2025 को उत्तर देने के लिए

हरियाणा में एकीकृत शीत श्रृंखलाओं का विकास

†879. श्री धर्मवीर सिंह:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एकीकृत शीत श्रृंखलाओं के विकास के लिए भिवानी और महेंद्रगढ़ जैसे प्रमुख बागवानी क्षेत्रों को चिह्नित और मैप किया है और यदि हॉं, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) हरियाणा राज्य में अब तक स्वीकृत मेगा फूड पार्कों या कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ब्लॉक स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयॉं स्थापित करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों के साथ सहयोग कर रही है, और यदि हॉं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या खाद्य संरक्षण, प्रसंस्करण और निर्यात संवर्धन के लिए स्टार्टअप और लघु उद्यमों को कोई प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है और यदि हॉं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उक्त जिलों में फसल-उपरांत होने वाले नुकसान को कम करने और शीघ्र खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए बाजार संपर्क में सुधार करने हेतु कोई तंत्र मौजूद है और यदि हॉं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत घटक योजना- ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी योजना) के कार्यान्वयन के लिए 15 राज्यों में 10 फलों के लिए 40 उत्पादन क्लस्टर और 25 राज्यों में 11 सब्जियों के लिए 97 उत्पादन क्लस्टर की पहचान की है। तथापि, हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों को उत्पादन क्लस्टरों में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये जिले ऐसे क्लस्टरों की पहचान के लिए अपेक्षित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

(ख): हरियाणा राज्य में पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं अर्थात् मेगा फूड पार्क योजना और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन योजना के अंतर्गत अब तक दो मेगा फूड पार्क और दो कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों को मंजूरी दी गई है।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी किसी भी योजना के अंतर्गत स्वयं खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएँ/इकाइयाँ स्थापित नहीं करता है। तथापि, पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं, अर्थात् एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन, ऑपरेशन ग्रीन्स और खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार के अंतर्गत, एफपीओ संबंधित घटक योजनाओं के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएँ स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र संस्थाएँ हैं।

(घ): पीएमकेएसवाई और पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) के तहत , स्टार्टअप सहित कोई भी पात्र संस्था संबंधित योजनाओं के मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुदान सहायता/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान- कुंडली (निफ्टेम-के) अपने निफ्टेम टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड बिजनेस इनक्यूबेशन फाउंडेशन (एनटीआईबीआईएफ) के माध्यम से खाद्य परिरक्षण, प्रसंस्करण और निर्यात संवर्धन में कार्यरत स्टार्टअप्स और लघु उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है । ये प्रोत्साहन कृषि -खाद्य क्षेत्र में नवाचार, परिचालन को बढ़ाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने की सुविधा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं । सहायता के प्रमुख रूपों में शामिल हैं:

• प्रारंभिक अनुदान वित्तपोषण: इनक्यूबेशन कार्यक्रम के तहत पात्र स्टार्टअप्स को उनके उद्यम शुरू करने या बढ़ाने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

• इन्क्यूबेशन स्पेस: निफ्टेम परिसर के भीतर सुसज्जित सह-कार्य और कार्यालय स्थान तक पहुंच, जो व्यवसाय संचालन और सहयोग के लिए अनुकूल वातावरण की सुविधा प्रदान करता है।

• उत्पाद परीक्षण और प्रमाणीकरण: स्टार्टअप्स को सब्सिडी दरों पर उत्पाद परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए निफ्टेम की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और पायलट प्लांट सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति है।

• मेंटरशिप सहायता: उत्पाद विकास, विनियामक अनुपालन, व्यापार रणनीति और बाजार प्रवेश पर निफ्टेम संकाय और उद्योग विशेषज्ञों से क्षेत्र-विशिष्ट मेंटरशिप।

• नेटवर्किंग के अवसर: व्यवसाय उन्नति के लिए निवेशकों, डोमेन विशेषज्ञों, सरकारी निकायों और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए मंच।

• प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण: कौशल विकास और उद्यम विकास के उद्देश्य से तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रमों, उद्यमिता कार्यशालाओं और तकनीकी सत्रों तक पहुंच।

इसके अलावा, निफ्टेम-के अपने परिसर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव, सुफलम (स्टार्टअप फ़ोरम फार एस्पाइरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स) का आयोजन करता है, जो नवाचारों को प्रदर्शित करने, बी2बी और बी2जी जुड़ाव को सुगम बनाने और कृषि -खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक जीवंत मंच के रूप में कार्य करता है। यह स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री लीडर्स, अकादमिक शोधकर्ताओं, निवेशकों और नीति निर्माताओं को स्थायी खाद्य प्रणालियों, प्रौद्योगिकी अपनाने और मूल्य श्रृंखला संवर्द्धन पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाता है। इस पहल के माध्यम से, एनटीआईबीआईएफ खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने और मूल्यवर्धित खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से योगदान देता है।

(ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय घटक योजनाओं अर्थात् एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन, ऑपरेशन ग्रीन्स, पीएमकेएसवाई की खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार और पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से पात्र संस्थाओं को देश भर में (हरियाणा राज्य के भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों सहित) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां/परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करता है, ताकि फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और शीघ्र खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए बाजार संपर्क में सुधार किया जा सके।

******